भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. HKM/1/2018/MHRD2/SEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांकः **18.09.2018**

सेवा में

निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
श्री अरविंद मार्ग,
नई दिल्ली–110016

विषयः श्री हरीश कुमार मीना, अध्यक्ष, एनसीईआरटी एससी, एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, नई दिल्ली के स्टेनोग्राफर ग्रेड–1/वैयक्तिक सहायक के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की मांग से संबंधित अभ्यावेदन पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 13.09.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को **01 माह के भीतर** भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री हरीश कुमार मीना, अध्यक्ष एनसीआरटी, एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, कमरा सं. 12–सी, तृतीय तल, जानकी अमाल खण्ड, डीईएसएस, एनसीआरटी, नई दिल्ली–110016
2. एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. HKM/1/2018/MHRD2/SEOTH/RU-III

श्री हरीश कुमार मीना, अध्यक्ष, एनसीईआरटी एससी, एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, नई दिल्ली के स्टेनोग्राफर ग्रेड–1/वैयक्तिक सहायक के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की मांग से संबंधित अभ्यावेदन पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'

बैठक की तिथि : 13.09.2018

श्री हरीश कुमार मीना, अध्यक्ष, एनसीईआरटी एससी, एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, नई दिल्ली ने दिनांक 25.06.2018 के अभ्यावेदन द्वारा एनसीईआरटी में स्टेनोग्राफर ग्रेड–1/वैयक्तिक सहायक के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान न किए जाने की जानकारी देते हुए आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की थी जिससे पात्रता में शिथिलता/अर्हक सेवा में छूट प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त 03 पदों को शीघ्र भरा जा सके।

आयोग ने दिनांक 06.07.2018 को सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली एवं निदेशक, एनसीईआरटी को नोटिस जारी करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही। निदेशक, एनसीईआरटी ने अपने पत्र दिनांक 14.08.2018 द्वारा आयोग को जानकारी भेजी जिसकी प्रति आवेदक को भेजी गई। आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 29.08.2018 के द्वारा आयोग को रिज्वाइंडर भेजा जिसके बाद आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक निर्धारित की।

बैठक में एनसीईआरटी की तरफ से मेजर हर्ष कुमार, सचिव उपस्थित हुए जबकि निदेशक को आहूत किया गया था। उनकी तरफ से अनुपस्थिति के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया और न ही व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगते हुए अन्य अधिकारी को भेजने का अनुरोध किया गया था। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 06.09.2018 द्वारा सचिव को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया क्योंकि यह मामला एनसीईआरटी से ही संबंध रखता है।

बैठक में आवेदक श्री हरीश कुमार मीना को सर्वप्रथम अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया जिन्होंने आयोग को अवगत कराया कि एनसीईआरटी की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी और तब से आज तक स्टेनोग्राफर ग्रेड–1/वैयक्तिक सहायक के पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है। कुल 48 स्वीकृत पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित आरक्षण के हिसाब से 03 पद आरक्षित हैं किंतु एनसीईआरटी द्वारा इन पदों को भर्ती/पदोन्नति द्वारा नहीं भरा गया है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने सचिव, एनसीईआरटी से इस संबंध में जानकारी देने का अनुरोध किया। आयोग को अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 के पहले इन पदों के भर्ती नियमों में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान था। वर्ष 2011 में भर्ती नियमों में परिवर्तन करके शत प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2017 में पुनः भर्ती नियमों में परिवर्तन हुआ है और 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से और 25 प्रतिशत पद सीमित विभागीय परीक्षा से भरने का प्रावधान किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा वर्ष 2006/2007 में अनुसूचित जन्जाति हेतु आरक्षित 02 पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए कदम उठाए गए थे तथा दिनांक 26.02.2007 को जारी लिखित परीक्षा के परिणाम में 18 अभ्यार्थी उत्तीर्ण भी हुए थे किंतु इस वर्ग का कोई अभ्यार्थी स्किल टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर सका जिसकी वजह से आरक्षित पद भरे नहीं जा सके थे। जहां तक तदर्थ पदोन्नति दिए जाने का मामला है, नियमों में एक वर्ष से ज्यादा छूट देने का प्रावधान नहीं है और दिनांक 21.03.2017 को आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक के समय इस वर्ग का कोई भी कर्मचारी नियमानुसार पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं था। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को रिक्त ही रखा गया है तथा वैयक्तिक सहायक के आरक्षित पदों को नए भर्ती नियमों के अनुसार रेगुलर या तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा भरने हेतु प्रयास किया जाएगा।

एनसीईआरटी की तरफ से दिए गए उक्त उत्तर पर आवेदक ने जानकारी दी कि एनसीईआरटी द्वारा 26.02.2007 के बाद से आज तक इन आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस समय भी स्किल टेस्ट में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त छूट देकर भर्ती किया जा सकता था किंतु ऐसा नहीं किया गया। वर्तमान में भी इस वर्ग के कार्मिकों को अनुभव में एक वर्ष तक की छूट देकर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जा सकता था। वरीयता सूची में उपलब्ध दोनों अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को एक वर्ष से भी कम छूट दिए जाने की आवश्यकता हैं। एनसीईआरटी द्वारा अवर सचिव के पद पर कार्यरत सामान्य श्रेणी के अधिकारी को इसी प्रकार की छूट दी गई है और पदोन्नति की कार्रवाई 02 दिन में ही पूरी कर ली गई परंतु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। भर्ती नियमों में बदलाव करने और पदोन्नति प्रतिशत कन करने के कारण अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित 01 पद भी कम हो गया है। एनसीईआरटी जैसे स्वायत्त संस्थानों के लिए बनाए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के भर्ती नियमों में अभी भी इन पदों के लिए वरिष्ठता के आधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है किंतु एनसीईआरटी ने स्वयं ही पदोन्नति प्रतिशत घटा कर 75 प्रतिशत कर दिया जिसकी वजह से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उक्त 01 पद कम हो गया है।

आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया कि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित 03 पद रिक्त हैं और स्थापना वर्ष 1961 से आज तक अनुसूचित जनजाति का एक भी कर्मचारी इन आरक्षित पदों पर नियुक्त नहीं हो सका है। आयोग ने यह भी पाया कि अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को अनुभव में छूट नहीं दी जा रही है जबकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विभाग के का.ज्ञा.सं. 14017/48/2010–स्था.(आर.आर.) दिनांक 31.10.2010 के पैरा 3.8.3 में छूट देने का प्रावधान है।

अतः आयोग इस संबंध में निम्नानुसार अनुशंसाएं करता है:–

1. अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्टेनोग्राफर ग्रेड–1/वैयक्तिक सहायक के पदों को पदोन्नति से भरने के लिए भर्ती नियमों को इस प्रकार बदला जाए कि अनुसुचित जनजाति के कर्मचारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 14017/48/2010–स्था.(आर.आर.) दिनांक 31.10.2010 के पैरा 3.8.3 के अनुसार अनुभव में छूट का लाभ मिल सके तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर उन्हें नियमित पदोन्नति दी जाए।
2. चूंकि उक्त कार्रवाई में कुछ समय लग सकता है अतः इस बीच उन्हें तत्काल तदर्थ आधार पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को भरा जाए।
3. इस संबंध में की गई कार्रवाई से आयोग को **01 माह के भीतर** अवगत कराया जाए।

17.9.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. HKM/1/2018/MHRD2/SEOTH/RU-III

श्री हरीश कुमार मीना, अध्यक्ष, एनसीईआरटी एससी, एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, नई दिल्ली के स्टेनोग्राफर ग्रेड–1/वैयक्तिक सहायक के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को निर्धारित प्रतिनिधित्व प्रदान करने की मांग से संबंधित अभ्यावेदन पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री एच.के. डामोर, सदस्य
4. श्री एच.सी.वसावा, सदस्य
5. श्री एम.सी. ईवनाते, सदस्या,
6. श्री राघव चंद्रा, सचिव
7. श्री शिशिर कुमार राथ, संयुक्त सचिव
8. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक

एनसीईआरटी, नई दिल्ली के अधिकारी

1. श्री हर्ष कुमार, सचिव
2. श्री अशुतोष मिश्रा, वी.एस.ओ.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकारी

1. श्री टी.एस. रोतेला, उप सचिव
2. श्री प्रकाश कुमार परूथी, परामर्शक स्कूल IV

आवेदक

श्री हरीश कुमार मीना, अध्यक्ष, एनसीईआरटी एससी, एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, नई दिल्ली